न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2130–दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–06–2014 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील मोहखेड़ जिला छिंदवाडा म0प्र0 के प्रकरण कमांक 1398/बी–121/2013–14.

.....

1–चरणजीत सिंह अरोरा आत्मज स्व0सुन्दरसिंह अरोरा,
2–श्रीमती तेजेन्दर कौर अरोरा पत्नि चरणजीतसिंह अरोरा
3–श्रीमती गुनीत कौर पत्नी स्व0 बलवीरसिंह अरोरा
सभी निवासी तनेजा कालोनी, एस0बी0आई मुख्य शाखा के पास,
तहसील व जिला छिंदवाडा म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0शासन

..... अनावेदक

.....

श्री एस0के0अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्रीमती रजनीवशिष्ठ शर्मा, पेनल अभिभाषक, अनावेदक शासन ।

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/3/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा तहसीलदार तहसील मोहखेड़ जिला छिंदवाडा म0प्र0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–06–2014 से परिवेदित होकर म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में आगे केवल "संहिता" जावेगा) की धारा 50 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है तहसीलदार मोहखेड़ जिला छिंदवाडा के प्रकरण कमांक 1398/बी–121/2013–14 में प्रचलन के दौरान आवेदक चरण सिंह द्वारा प्रकरण में दिनांक 17–6–14 को यह आशय की आपत्ति प्रस्तुत की कि विचारण न्यायालय को प्रचलित कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नहीं है एवं समयसीमा से बाहर है । इस कारण कार्यवाही निरस्त की जावे । तहसीलदार द्वारा दिनांक 26–6–14 को आदेश पारित करते हुये यह प्रतिपादित किया कि म0प्र0भू–राजस्व संहिता की धारा 116 के तहत तहसीलदार को यह शक्तियॉ प्रदत्त है कि राजस्व रिकार्ड में कोई त्रुटि हुई हो तो उसे दुरूस्त किया जा सकता तथा संहिता की धारा 32 के तहत अन्तरनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये न्यायालय के साथ की गई किसी धोखाधडी एवं तथ्य छिपाकर प्राप्त किये गये किसी लाभ के विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार तहसील न्यायालय को है । अतः क्षेत्राधिकार की सीमा के बिन्दु पर आवेदक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत की गई आपत्ति पारित अंतरिम आदेश दिनांक 26–6–14 से निरस्त की गई तथा प्रकरण आगे कार्यवाही हेतु नियत किया गया । तहसीलदार द्वारा पारित दिनांक 26–6–14 के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क में बताया कि विचारण न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 116 का अवलोकन किये बिना अंतरिम आदेश पारित किया है क्योंकि धारा में स्पष्ट उल्लेख है कि धारा 114 के अनुसार बनाये गये भू–अभिलेखों से यदि कोई व्यक्ति व्यथित है तो वह एक वर्ष के भीतर शुद्धिकरण के लिये तहसीलदार को आवेदन कर सकता है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा 40 वर्षो के पश्चात् बिना किसी आवेदन के कार्यवाही किया जाना समयावधि से परे है । तर्क में यह भी बताया कि शासन के द्वारा आवेदकगणों को तथा उनके पूर्व भूमिस्वामियों को भूमिस्वामी अधिकार दिये जाने से खसरा नम्बर 107/4 रकबा 0.243 हेक्टर भूमि कन्हरगॉव जलाशय हेतु कय

किये जाने से एवं उनके नाम एवं आधिपत्य को निरन्तर राजस्व अभिलेख में इंद्राज किये जाने से शासन का कोई अधिकारी या कर्मचारी आवेदकगणों के अधिकार व आधिपत्य के संबंध में कोई विवाद उद्भुत नहीं कर सकता है और न ही उसे चुनौती दे सकता है क्योंकि वह न्यायिक सिद्धांत के विरूद्ध है । आवेदकगणों का प्रश्नाधीन भूमियों पर लगातार भूमि स्वामी अधिकार एवं आधिपत्य होने के कारण स्वत्व स्थापित हो चुका है एवं स्वत्व से संबंधित कार्यवाही करने के लिये केवल व्यवहार न्यायालय ही समक्ष है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–6–14 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से तर्को में मुख्य रूप से यह कहा कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–6–14 से आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई । अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया ।

5/ उभयपक्षों के तर्को पर विचार किया एवं अभिलेखों का तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का अवलोकन किया । संहिता की धारा 115 के प्रावधान निम्नानुसार है –

धारा 115 – "यदि किसी तहसीलदार को यह पता चले कि उसके अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू–अभिलेखों में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि की गई है, तो वह, सम्यक् लिखित सूचना देने के पश्चात्, संबंधित व्यक्तियों से ऐसी पूछताछ करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, उसमें आवश्यक परिवर्तन लाल स्याही से किये जाने के निदेश देगा ।"

उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि भू–अभिलेखों में अशुद्धि पाये जाने पर उसे संबंधित को सुनकर परिवर्तित करने का अधिकार तहसीलदार को है । इस धारा में ऐसी कार्यवाही के लिये कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं है। आवेदक

की प्रारम्भिक आपत्ति इन्हीं दो बिन्दुओं पर है । उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि आवेदक की आपत्ति संहिता के प्रावधानों के विपरीत है । अतः तहसीलदार ने उसकी आपत्ति निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

6/ फलतः यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर